10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - संक्षिप्त विवरण

'ज्ञान शक्ति है' की कहावत वास्तव में आधुनिक विश्व में लागू होती है और ज्ञान अर्जित करने के लिए सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है । सार्वजनिक प्राधिकारियों के पास सूचना स्वयं जनता को कोई लाभ नहीं दे सकता । यह सूचना जनता के लिए है और जनता के लाभ के लिए रखी जाती है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली ने इसे महसूस किया और संकल्प किया कि सूचना की स्वतंत्रता एक मूल मानवाधिकार है और सभी स्वतंत्रताओं का मूल मंत्र है जिसके लिए संयुक्त राष्ट की स्थापना की गई है । राष्ट्रमंडल मानवाधिकार का स्पष्ट मत है कि सूचना के अधिकार में ही सभी अन्य मानवाधिकार निहित हैं ।

इस दिशा में 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरकार से भारत की जनता को सूचना का मुक्त प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है ।

आगे का विवरण हमारी वेबसाइट http://www.hindustanpetroleum.com/righttoinformationact

पर उपलब्ध है :

सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 4 के आवश्यकतानुसार एचपीसीएल ने अपनी सूचना नियमावली तैयार किया है जिसे http://www.hindustanpetroleum.com/rtiinfo_manual पर देखा जा सकता है ।

एचपीसीएल सूचना नियमावली के विकास के लिए प्राप्त सुझावों का स्वागत करता है । आप अपने सुझाव नोडल अधिकारी श्री वी. एस. भिरूड को vbhirud@hpcl.in पर भेज सकते हैं ।

आरटीआई प्रश्नों के लिए दिनांक 14 नवम्बर,2007 के डीओपीटी परिपत्र क्र.1132/2007-आईआर की आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी तथा प्रथम अपील के लिए उप महाप्रबंधक - आरटीआई एवं वेब समन्वय बनाया गया है । उनसे एचपीसीएल, पेट्रोलियम हाऊस, 17, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400020, टेलीफोन नं.022-22863618 पर संपर्क किया जा सकता है ।